राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3494/2022

डॉ. पूरनमल वर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज (चिकित्सा), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ. दिनेश चंद गुप्ता, वर्तमान पदस्थापित प्रमख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.08.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमख चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2021 (अनुलग्नक–12) द्वारा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, घौलपुर पदस्थापनाधीन से संशोधन कर जिला चिकित्सालय करौली (जिला चिकित्सालय करौली में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कर्यभार देते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद्द्वारा प्रदान की जाती है) किया गया था, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2021 (अनुलग्नक–13) को कार्यमुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 10.07.2021 (अनुलग्नक–14) को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2021 (अनुलग्नक–15) के द्वारा अपीलार्थी का जिला चिकित्सालय झालावाड़ के रिक्त पर पर किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2369/2021 दायर की,

जिसमें पारित अन्तरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पद पर ही कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी तथा उक्त अपील का निस्तारण दिसम्बर, 2021 में लोक अदालत में निस्तारण कर दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, करौली से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, करौली अपीलार्थी के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को विधि विरूद्ध कार्यभार ग्रहण करवा लिया गया है तथा अपीलार्थी को बिना किसी स्थानान्तरण/पदस्थापन के पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो राजस्थान सेवा नियम 25ए का उल्लंघन है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.07.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा ग्रेड पे (37400–67000, ग्रेड पे 8700) में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर प्रमख चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का कहीं स्थानान्तरण नहीं किया गया है बल्कि आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक आर–4/1) के द्वारा अपीलार्थी को सामान्य चिकित्सालय, करौली में वृद्धजन को चिकित्सा परामर्श देने के लिए के कार्य (duty) हेतु निर्देशित किया गया तथा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी नहीं किया गया था तथा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किए जाने की आवश्कता ही नहीं क्योंकि अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2022 की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक आर–4/2) द्वारा अपीलार्थी को तुरन्त ड्यूटी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.12.2017 (अनुलग्नक आर–4/3) के द्वारा अपीलार्थी को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2017 से प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर ग्रेड पे 8700 में पदोन्नति दी गई थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा दिनांक 06.08.2022 (अनुलग्नक आर–4/4) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, करौली का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1993 में हुई थी तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई थी। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा 20 वर्ष से अधिक का अनुभव एवं प्रमुख विशेषज्ञ होने के कारण जिला चिकित्सालय करौली का प्रभारी नियमानुसार बनाया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दायर डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 504/2021 छोटे लाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश

दिनांक 26.05.2021 (अनुलग्नक आर–4/7) का उद्धरण देकर प्रकरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के समान बताया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2022 के द्वारा डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता को प्रशासनिक कारणों से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी करौली के पद पर लगाये जाने के कारण अपीलार्थी दिनांक 08.08.2022 से 20.09.2022 तक चिकित्सकीय अवकाश पर रहे एवं दिनांक 21.09.2022 को सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्यग्रहण किया तथा आज दिनांक तक सामान्य चिकित्सालय, करौली में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन प्रशासनिक एवं लोकहित में किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 पूर्णतया नियमानुसार जारी किए गए है तथा इस आदेश में कोई अनियमितता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी, निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि ''In this connetion, it is submitted that the appellant was granted the grade pay of Rs. 8700/- under DACP scheme. Under DACP scheme, there is a provision that if no vacancy is available for granting DACP, the post held by the person shall be converted into the next promotional post. In this view of the matter, there would be no loss to the appellant and he would get the same salary.

There is no designated post of principal medical officer and the principal medical officer is only the Incharge of the hospital, as is evident from the information received under RTI Act and the Notification dated 30-10-2017 issued by the Finance Department. A Copy of the information received under RTI Act on 15-01-2021 is enclosed herewith and marked as Annexure-R-4/5. The respondent no. 4 craves leave of this Tribunal to keep a copy of the Notification dated 30-10-2017 ready at the time of arguments.

That the contents of paragraph 15 to 22 of the appeal are not admitted in the manner they have been stated and therefore, the same are denied. The appeal No. 2369/2021 filed by the appellant is said to be disposed of in Lok Adalat in December, 2021, but copy of the said order has not been placed on record.

It is relevant to mention here that for being the Incharge of the Hospital i.e. principal medical officer, the primary condition is that the candidate must have 20 years service experience and priority will be given to the Doctors who are principal Specialist/Senior Specialist and the last condition with regard to possessing degree/diploma in Hospital and Health Care Management was also given in the order dated 8-9-2015. A copy of the order dated 8-9-2015 is enclosed herewith and marked as Annexure-R-4/6.

The appeallant is appointed since the year 1993, whereas the respondent no. 4 is appointed since the year 1991. In this way, he is senior than the appellant. The respondent no. 4 having mre than 20 years service experience and being a Principal Specialist, was rightly assigned the charge of District Hospital, Karauli."

"Since the appeallant has been assigned the work in Geriatric Centre, no order was required to be issued qua appellant. The appellant is not going to be relieved nor he is going to be made APO, but merely on the basis of assumption, assertion has been made. Despite assigning the duties, the appellant is not joining the duties, for which a show cause notice was issued to him." तथा इसके समर्थन में प्रदर्श आर/4 से आर 7 संलग्न किए गए है इसी प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि ''डॉ0 दिनेश चन्द गुप्ता को प्रशासनिक कारणों से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी करौली के पद पर लगाये जाने के कारण अपीलार्थी दिनांक 08.08.2022 से 20.09.2022 तक चिकित्सकीय अवकाश पर रहे एवं दिनांक 21.09.2022 को सामान्य चिकित्सालय, करौली में कार्यग्रहण किया तथा आज दिनांक तक सामान्य चिकित्सालय, करौली में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन प्रशासनिक एवं लोकहित में किया गया है।''

इस प्रकार अपीलार्थी का कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण या पदस्थापन प्रतीक्षा में किए जाने का कोई आदेश आज तक जारी नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 में कोई विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। प्रत्यर्थी विभाग तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध नहीं है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अपीलार्थी अपनी अपील के तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य